



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar



ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A wing- 407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010  
Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

दिनांक: 26<sup>th</sup> नवंबर, 2024

सेवा में,  
शासन सचिव (वन)  
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन  
जयपुर, राजस्थान।

(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/WATER/153642/2022)

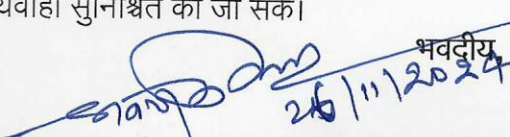
**विषय: Diversion of 9.5611 ha of Protected Forest land for KALITEER LIFT SCHEME, DHOLPUR (RAJASTHAN) to provide drinking water to 483 Villages of 4 Tehsils of Dholpur- District in favour of Executive Engineer, Water Resource Division-II, Dholpur in Rajasthan.**

संदर्भ: राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(97)वन/2024 दिनांक 04.11.2024.  
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभ्यारण्य एवं धोलपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र का भाग है, इसलिये राज्य शासन से अनुरोध है कि प्रस्ताव में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करें एवं इस कार्यालय को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन की प्रति प्रेषित करें।

2. इसके अलावा, सी.ए. एस्टीमेट हेतु दिये गये दस्तावेजों में, सी.ए. क्षेत्र 50.00 हेक्टेयर दर्शाया गया है। सी.ए. क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि 14.8859 हेक्टेयर दर्शायी गयी है। इस संबंध में राज्य शासन से अनुरोध है कि कृपया अपना स्पष्टीकरण दें।

3. इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

  
(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)  
क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer (RO)  
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

**प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर वनमण्डल, सवाईमाधोपुर, राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन संभाग-II, धोलपुर, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14( )2022/कालीतीर/एफसीए/प्रमुवसं./3721

दिनांक 18/12/2024

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,  
रणथम्भौर बाघ परियोजना,  
सवाई माधोपुर।

विषय:- Diversion of 9.5611 ha. forest land for KALITEER LIFT IRRIGATION PROJECT to provide drinking water to 483 villages of 4 tehsil of Dholpur District in favour of Executive Engineer, Water Resources Division -II Dholpur Rajasthan. (Proposal No.- FP/RJ/Water/153642/2022)

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, गांधीनगर के पत्र दिनांक 26.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दो बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी किन्तु आप द्वारा बिना बिन्दुवार पालना पूर्ण कर प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया गया है जो उचित नहीं है। अतः अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना प्राप्त कर ने के उपरांत ही प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न: उपरोक्त पत्र

भवदीय,

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 18/12/2024

क्रमांक: एफ. 14( )2019/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं./3722-23  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, धौलपुर।
2. Executive Engineer Water Resource Div-II Dholpur.

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर